

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2026 — आषाढ़ 12, शक 1948

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक E-322543/2026-LABOUR.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम सेवा (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2014 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त नियमों में -

1. नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

"(क) प्रतियोगी परीक्षा / चयन के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा।"

2. नियम 8 के उप-नियम (च) का लोप किया जाये।

संशोधन

3. नियम 18 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:- "(1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति तीन वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।"

4. अनुसूची-एक के कॉलम (4) का लोप किया जाए तथा कॉलम नं. (5), (6) एवं (7) को, कॉलम नं. (4), (5) एवं (6) के रूप में पुर्नक्रमांकित किया जाए।

5. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (3) में, अंकित अंक "102" के स्थान पर अंक "105" प्रतिस्थापित किया जाए।

6. अनुसूची-एक के सरल क्रमांक 16 के कॉलम (3) में, अंकित अंक "102" के स्थान पर अंक "105" प्रतिस्थापित किया जाए।

7. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 1, 8, 12 एवं 17 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक श्रम पदाधिकारी	18	33%	67%	—
8	श्रम निरीक्षक	105	67%	33%	—
12	श्रम उप निरीक्षक	47	33%	67% पदोन्नति के पदों पर 3:1 अर्थात् सहायक ग्रेड-2 के तीन पद पदोन्नत किए जाने के पश्चात, डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद पदोन्नत किए जाएंगे। यही चक्रानुक्रम की स्थिति रहेगी।	—
17	सहायक ग्रेड – 3	105	75%	25%	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विपुल कुमार गुप्ता, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd July 2026

NOTIFICATION

No. E-322543/2026-LABOUR.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following further amendments to the Chhattisgarh Labour Service (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2014:—

AMENDMENT

In the said Rules—

1. For Clause (a) of Sub-rule (1) of Rule 6, the following shall be substituted, namely:—

"(a) By direct recruitment through competitive examination / selection."

2. Sub-rule (f) of Rule 8 shall be omitted.

Amendment

3. For Sub-rule (1) of Rule 18, the following shall be substituted, namely:— "(1) Every person appointed to the Service by direct recruitment shall be appointed on probation for a period of three years."

4. Column (4) of Schedule-I shall be omitted, and Columns No. (5), (6), and (7) shall be renumbered as Columns No. (4), (5), and (6), respectively.

5. In Column (3) against Serial No. 8 of Schedule-I, the figure "105" shall be substituted for the figure "102".

6. In Column (3) against Serial No. 16 of Schedule-I, the figure "105" shall be substituted for the figure "102".

7. For Serial Nos. 1, 8, 12, and 17 of Schedule-II, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Assistant Labour Officer	18	33%	67%	—
8	Labour Inspector	105	67%	33%	—
12	Labour Sub-Inspector	47	33%	67% Promotion posts shall be filled in the ratio of 3:1, i.e., after promotion of three posts of Assistant Grade-II, one post of Data Entry Operator shall be filled by promotion. This cycle shall continue accordingly.	
17	Assistant Grade-III	105	75%	25%	—

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIPUL KUMAR GUPTA, Deputy Secretary.